



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53059

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8613 वर्ष 2026

बबिता शर्मा

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : दीपक कुमार जायसवाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत आरंभ की गई कार्यवाहियों को आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया था। पूर्वोक्त से व्यथित होकर, याची ने दिनांक 21.05.2025 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल किया जिसे आदेश दिनांक 29.10.2025 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तत्पश्चात याची द्वारा दिनांक 21.05.2025 को पुनः एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसे प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील सदर, जिला आगरा द्वारा आदेश दिनांक 05.02.2026 के द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः वर्तमान याचिका।
2. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब याची द्वारा दाखिल पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया था, तो उसी प्राधिकारी के पास एक नए आदेश दिनांक 05.02.2026 द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.05.2025 का प्रत्याह्वान करने का कोई कारण नहीं था, जिसकी प्रति रिट याचिका में अनुलग्नक संख्या 12 के रूप में संलग्न है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
4. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, न्यायालय का यह मत है कि प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील सदर, जिला आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2026, जिसके द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.05.2025, जिससे पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, का प्रत्याह्वान किया गया है, अपास्त किए जाने योग्य है और उसे एतद्वारा अपास्त किया जाता है।
5. प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील सदर, जिला आगरा को यह निदेश दिया जाता है कि वे कड़ाई से विधि के अनुसार किंतु संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात मामले को गुणागुण के आधार पर निर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 16, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।